रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 4 जनवरी, 2008 / 14 पौष, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

वहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

1 जनवरी, 2008

संख्याः विद्युत.–छ–(5)–20 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल होमते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 में भावा Augmentation पावर हाऊस (4.50MW) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश

करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला–3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर)
किन्नौर	निचार	होमते	1063/1	0-05-58

कुल कित्ता–1 कुल रकबा– 0-05-58 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

———

वहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2007

संख्या विद्युत.–छ–(5)–26 / 2006.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम समिति (एन.एच.पी.सी.) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी,सी,) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल पलेही, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–। के जलाशय से असुरक्षित होने पर भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधी के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयॉ, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
चम्बा	चम्बा	पलेही(302)	665/1	0-06

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

वहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

संख्या : विद्युत.–छ–(5)–23 / 2006.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज फोजल पावर प्राईवेट लिमिटेड, सी–25, पचंशील एन्कलेव, नई दिल्ली–110017 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मेहा तथा दुआड़ा, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 में फोजल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता–एवं–उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3 भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू अर्जन समाहर्ता–एवं–उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
कुल्लू	कुल्लू	मेहा	809	0-01-20
			811	0-00-14
			822	0-01-40
			823/2	0-02-15
			815/1	0-00-78
			830	0-28-93
			823/1	0-07-28
			किस्ता–7	रकबा– 0-41-88 हैक्टेयर
		दुआड़ा	757/1	0-02-74
			756/1	0-01-48
			706/1	0-03-92
			710/1	0-00-92
			705/1	0-01-56
			711/1	0-04-45
			700/1	0-01-38
			852/1	0-02-60
			848/1	0-02-20
			846	0-29-63

847	0-01-00
832	0-30-26
834	0-01-20
838	0-02-56
839	0-02-70
845	0-01-17
731	0-01-02
732/1	0-00-42
735/1	0-01-00
734/1	0-02-10
762/1	0-01-21
766/1	0-07-42
738/1	0-00-55
किल्ला–23	रकबा–1-03-49 हैक्टेयर

कुल किल्ला–30 कुल रकबा–1-45-37 हैक्टेयर

———

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 31 दिसम्बर, 2007

संख्याः एफ.एफ.ई. वी.–एफ.(7) –1 / 2000.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वन (इमारती लकड़ी का विक्रय) अधिनियम, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 3–236 / 69–एस.एफ. तारीख 03 जुलाई, 1969 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 22–08–1970 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश फारेस्ट (सेल ऑफ टिम्बर) रूल्ज, 1969 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं ओर इन्हें इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिये एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं,.

इन नियमों की बावत किसी (किन्हीं) हितबद्व व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई आक्षेप करने या सुझाव देने हों तो वह (वे) उसे (उन्हें) इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव वन, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा (सकेंगे),.

नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) , यदि कोई हों, पर प्रस्तावित प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अ़र्थात्:–

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट (सेल ऑफ टिम्बर) संशोधित रूल्ज, 2007 है ।

2. **रूल 2 का संशोधन.**–दी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट (सेल ऑफ टिम्बर) रूल्ज, 1969 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, (ii) के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जायेगा, अर्थात्:–

> " Explanation: Katha Bhatti and Katha Bhatti using IBR boiler which process khairwood for the manufacture of katha and allied products shall be deemed to be a depot".

3. **रूल 4 का संशोधन.**—उक्त रूल्ज में नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जायेगा, अर्थात्:—

" The Operation of the Katha Bhatties and Katha Bhatties using IBR boilers shall be regulated as per conditions, enumerated in Annexure-A appended to these rules".

4. **रूल 9 का संशोधन.**—उक्त रूल्ज के रूल 9 में फार्म (ii) के पश्चात निम्नलिखित फार्म (iii) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

" (iii) Register of consumption of Khairwood and katha prepared by katha bhatties and katha bhatties using IBR boilers:-

I. Consumption of Khairwood
1. Date
2. Quantity of Khair-wood consumed.

II End Product i.e.katha Prepared
1. Date
2. Quanity of katha and kutch obtained."

5. **रूल 11 का प्रतिस्थापन.**—उक्त रूल्ज के रूल 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"No timber or processed timber (katha etc.) shall be removed from any registered depot until it has been marked with the registered sale hammer of the owner of the registered depot."

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / —
प्रधान सचिव ।

————————

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 4th January, 2008

No. HFW-B(B)-10-1/2003.— In continuation of this department notification of even No. dated 27.8.2007, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Dr. J.L.Aggarwal, Professor & HOD Physiology, Dr. RPGMC Kangra at Tanda shall retire from Government service on 31.7.2008 after attaining the age of superannuation. His date of birth is 11.7.1950.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित